न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी,रावतभाटा जिला– चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी डॉ. कृति व्यास (आर0,ए0,एस0)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र –82/2025

अनवान

श्री निरंजन सिंह पिता श्री नरेन्द्र सिंह, जाति राजपूत, आयु बालिग, पेशा काश्तकारी, निवासी ग्राम गोपालपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

– प्रार्थी

बनाम

1. श्री भूमिधारी, जरिये तहसीलदार साहब, रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

प्रतिवादी/विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित – श्री यशवन्तराय श्रीवास्तव प्रार्थी
पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 23.04.2026

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मुझ प्रार्थी के नाम ग्राम गोपालपुरा, पटवार हल्का देवपुरा, तहसील रावतभाटा में सम्वत 2076–79 की जमाबंदी अनुसार खाता संख्या 20 खसरा संख्या 41, क्षेत्रफल 5.40 हेक्टेयर भूमि खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है, जिस पर मैं प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हूँ। सम्वत 2054–57 की जमाबंदी अनुसार ग्राम गोपालपुरा, पटवार हल्का देवपुरा की खाता संख्या 15, खसरा संख्या 4/3, क्षेत्रफल 5.40 हेक्टेयर भूमि गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड थी, जिसमें मुझ प्रार्थी का नाम "निरंजन पिता नरेन्द्र सिंह राजपूत सा. देह" अंकित था। उसके पश्चात सेटलमेंट आ जाने के कारण सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा मुझ प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि, जो कि ग्राम गोपालपुरा, पटवार हल्का देवपुरा में सम्वत 2064–64 की जमाबंदी में खाता संख्या 21, खसरा संख्या 41, क्षेत्रफल 5.40 हेक्टेयर में दर्ज है, उसमें मेरा नाम "निरंजन सिंह पिता नरेन्द्र सिंह राजपूत" के स्थान पर "निरन्दन सिंह पिता नरेन्द्र सिंह राजपूत सा. देह (गैर खातेदार)" अंकित कर दिया गया, जो कि त्रुटिपूर्ण है। मुझ प्रार्थी का नाम "निरंजन सिंह पिता नरेन्द्र सिंह राजपूत" है तथा मेरे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में भी यही नाम अंकित है। इस संबंध में ग्राम पंचायत कांकरवा, पंचायत समिति भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़ से जारी प्रमाण पत्र भी संलग्न है। इस प्रकार मुझ प्रार्थी का नाम जो कि वर्तमान जमाबंदी अनुसार खाते में निरन्दन सिंह पिता नरेन्द्र सिंह कर दिया गया है जिसके स्थान पर नाम दुरूस्ती कर निरंजन सिंह पिता नरेन्द्र सिंह किया किया जाना न्यायोचित है। अंत प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि ग्राम गोपालपुरा, पटवार हल्का देवपुरा, तहसील रावतभाटा में खाता संख्या 20 खसरा संख्या 41 रकबा 5.40 हेक्टेयर भूमि में प्रार्थी का नाम "निरन्दन सिंह पिता नरेन्द्र सिंह" के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम "निरंजन सिंह पिता नरेन्द्र सिंह राजपूत" इन्द्राज दुरुस्ती कर खाते में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार न्यायालय में उपस्थित हो प्रकरण में वांछित रिपोर्ट दिनांक 18.03.2026 से पेश की गई। तहसीलदार रावतभाटा अनुसार ग्राम गोपालपुरा प0ह0 देवपुरा की जमाबंदी संवत् 2076–79 में खाता संख्या 20 खसरा संख्या 41 रकबा 5.40है0 भूमि चाही–2 में खातेदार के रूप में निरन्दन सिंह पुत्र नरेन्द्र सिंह जाति राजपूत का नाम स्थायी गैर खातेदार के रूप में दर्ज है। जांच के दौरान प्रस्तुत आधार कार्ड, पहचान पत्र एवं मौके पर उपस्थित मोतबिरानों के कथन के अनुसार संबंधित व्यक्ति का वास्तविक नाम निरंजन सिंह पुत्र नरेन्द्र सिंह जाति राजपूत पाया गया है। अतः नाम में त्रुटि (निरन्दन के स्थान पर निरंजन) होना प्रतित होता है। संबंधित खातेदारी प्रविष्टि आर.पी.एस. डैम पुनर्वास पैकेज के अंतर्गत पेटा काश्तकार के रूप में स्थायी गैर–खातेदार के रूप में दर्ज की गई थी। उक्त श्रेणी की प्रविष्टियाँ वर्तमान में ई–धरती पोर्टल पर प्रदर्शित/सक्रिय नहीं होती है, जिसके कारण नाम संशोधन अथवा नामान्तरण की कार्यवाही तकनीकी रूप से संभव नहीं है। अंत में उपरोक्त तथ्यों के आधार पर निवेदन किया कि प्रकरण में वर्णित नाम त्रुटि वास्तविक रूप से विद्यमान है तथापि वर्तमान राजस्व प्रणाली (ई–धरती पोर्टल) में तकनीकी बाधाओं के कारण संबंधित प्रविष्टि में संशोधन/नामान्तरण की कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है। उपयुक्त तथ्यात्मक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार आवश्यक आदेश पारित करने का अनुरोध किया है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का खण्डन कर निवेदन किया है कि संबंधित खातेदारी प्रविष्टि आर.पी. एस. डैम पुनर्वास पैकेज के अंतर्गत पेटा काश्तकार के रूप में स्थायी गैर–खातेदार के रूप में दर्ज की गई थी। उक्त श्रेणी की प्रविष्टियाँ वर्तमान में ई–धरती पोर्टल पर प्रदर्शित/सक्रिय नहीं होती है, जिसके कारण नाम संशोधन अथवा नामान्तरण की कार्यवाही तकनीकी रूप से संभव नहीं है, इस आधार पर प्रार्थी के कथनों की पुष्टि नहीं होती है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का नाम ई–धरती पोर्टल पर तकनीकी बाधाओं के दृष्टिगत इन्द्राज दुरूस्ती किया जाना संभव नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतित नहीं होता है।

–:आदेश:–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा–136 रा.ले.रे.एक्ट को तहसीलदार रावतभाटा की रिपोर्ट अनुसार वर्तमान राजस्व प्रणाली (ई–धरती पोर्टल) में तकनीकी बाधाओं के कारण संबंधित प्रविष्टि में संशोधन/नामान्तरण की कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होने के दृष्टिगत खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2026 को सुनाया गया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(डॉ. कृति व्यास)आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चितौडगढ़